120

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

—————— xx —————— xx ——————

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40/2019 प्रा॰पत्र (2019/00333)

अनवाद

लक्ष्मीलाल पिता कन्हैयालाल जी खटीक निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— प्रार्थी

बनाम

1- श्री उदयगिरी पिता बंशीगिरी गुसाई निवासी मानपुरा

2- श्री हीरापुरी पिता गोकलपुरी गुसाई निवासी मानपुरा

3- सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

उपस्थिति : राजेश मोड़ा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक 22/02/2023

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरुद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की ग्राम मानपुरा प॰ हल्का सेमलपुरा की आ.नं. 626, 627, 636 कीता 3 कुल रकबा 0.84 हे. स्थित है। आराजी नम्बर 623 रकबा 0.23 हे. भूमि विपक्षी संख्या 1 उदयगिरि पिता बंशीगिरी तथा आराजी नम्बर 624, 625 कीता 2 रकबा 0.97 हे. भूमि विपक्षी संख्या 2 हीरापुरी पिता गोकलपुरी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी को अपनी कृषि

.....लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A/21

आराजीयात 626, 627, 636 पर आने जाने के लिए सरकारी ~~भूमि~~ जमीन 628 किस्म नाडी से होते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 623, 624 के पूर्व दिशा की ओर बनी मेड के सहारे - सहारे होकर अपनी आराजी नम्बर 627 पर पहुंचता है, जिसे रास्ते के रूप में सन् 2017 से उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी ने आमादाह होकर दिनांक 01.03.2019 को उक्त रास्ते में कंटीली झाड़िया एवं लकड़िया डाल कर उक्त रास्ते को बंद कर दिया तथा आने जाने के रास्ते को भी नष्ट करने पर आमदा है, जिससे प्रार्थी को आने - जाने व कृषि उपकरण लाने लेजाने मे भारी समस्या आ रही है। प्रार्थी की आराजीयात पर आने - जाने का और कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी रास्ते के रूप मे आने वाली कृषि आराजीयात का न्यायालय आदेशानुसार डी एल सी दर के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने को तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थी ने अपनी कृषि आराजीयात पर आने - जाने के लिए उक्त रास्ते के उपयोग मे आने वाली विपक्षीगण की भूमि का नियमानुसार मुआवजा निर्धारित कराया जाकर विपक्षी को दिया जाने एवं रास्ता दर्ज रेकार्ड किए जाने बाबत् निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण के उपस्थित नही होने से, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी ग्राम मानपुरा स्थित आराजी नम्बर

.... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

626, 627, 636 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण की ग्राम मानपुरा की आ. नं. 623, 624 मे से रास्ता सबसे निकटतम होकर कृषि योग्य भूमि का किसी प्रकार से अतिरिक्त क्षय नही हो रहा है। ग्राम मानपुरा की आराजी नम्बर 623 रकबा 0.23 हे. मे से 0.03 हे. तथा आराजी नम्बर 624 रकबा 0.84 हे. मे 0.03 हे. कुल रकबा 0.06 हे. भूमि रास्ता हेतु उपयोग मे आयेगी। आ. नं. 623 व 624 के खातेदार अलग - अलग होने से आ. नं. 623 मे डी.एल.सी 24346/- प्रति एयर से दुगुना गणना करने पर 0.03 हे. की राशि 146076.00 रुपए तथा आराजी नम्बर 624 मे डी.एल.सी 24346/- प्रति एयर के दुगुना गणना करने पर 0.03 हे. की राशि 146076.00 रुपए बनते है। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही हुआ। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उचित एवं स्पष्ट है। अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम मानपुरा पटवार हलका मानपुरा स्थित आराजी संख्या 626, 627, 636 पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत् ग्राम मानपुरा की निकटतम विपक्षी सं. 1 उदयगिरी की आराजी संख्या 623 रकबा 0.23 हे. मे से 0.03 हे. की कीमत 24346/- प्रति एयर से दो गुना राशि 1,46,076.00 रुपए तथा विपक्षी संख्या 2 हीरापुरी की आराजी संख्या 624 रकबा 0.84 हे.

----- लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A23

मे से 0.03 हे. की कीमत 24346/- प्रति एयर के हिसाब से दो गुना राशी 146,076.00 रुपए का भुगतान आराजी संख्या 623 एवं 624 के खातेदारान को किए जाने पर आराजी संख्या 623 रकबा 0.23 हे. मे से 0.03 हे. तथा आराजी संख्या 624 रकबा 0.84 हे. मे से 0.03 हे. भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि आराजी संख्या 623 के खातेदार उदयगिरी को 146076.00 रुपए एवं आ.नं. 624 के खातेदार हीरापुरी को 146076.00 रुपए का भुगतान करने हेतु इनके नाम के ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें।

ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाये जावे तथा राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, की प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर, मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner